



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## बिना लाइसेंस के अवैध विस्फोटक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-16.04.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा जनपद में वृहद चेकिंग अभियान चलाये जाने एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 15.04.2021 को थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक के साथ एक अभियुक्त नूर मोहम्मज पुत्र स्व० मुन्ना अली निवासी ठाकुरनगर कस्बा नैमिषारण्य जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से मौके से 950 ग्राम विस्फोटक कागज बम तिकोने आकार का बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त नूर मोहम्मज उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 107/21 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 107/21 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम थाना नैमिषारण्य सीतापुर।

अभियुक्त का नाम व पता-नूर मोहम्मज पुत्र स्वमुन्ना अली निवासी ठाकुरनगर कस्बा 0 नैमिषारण्य जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण- 950 ग्राम विस्फोटक बरामद।

पुलिस टीम -उ०नि० श्री मनोज कुमार गुप्ता, उ०नि० श्री अजय दुबे, हे०का नवल किशोर सिंह, का० सौरभ कुमार

